**न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट कन्नौज।**

आपराधिक प्रकीर्ण वाद सं0–69/2026

गेंदनलाल बनाम कृपाल सिंह आदि।

(CNR No–UPKJ010006092026)

**02.05.2026**

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थी गेंदनलाल के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 पर सुना गया।

प्रार्थी गेंदनलाल ने इस आशय का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 प्रस्तुत किया कि, प्रार्थी हरिजन जाति का चमार है। प्रार्थी ने एक बीघा खेत खाता संख्या–140 करीब 15 साल पहले भजनलाल से खरीदा था, जो दर्ज कागजात व कब्जा दखल में है। दिनांक–17.02.2026 को समय करीब 04 बजे शाम उपरोक्त मुल्जिमान कृपाल सिंह, अशोक कुमार, जगत सिंह व नन्हीं देवी ने पहले तो प्रार्थी के खेत की मेड़ तोड़कर बदनियती अपने खेत में मिलाकर प्रार्थी के खेत में खड़ी वरसीम की फसल को जोत रहे थे। सूचना पाकर प्रार्थी जब करीब एक घण्टें बाद पांच बजे शाम को खेत पर जाकर देखा तो उपरोक्त चारों मुल्जिमान ने जैसे ही फसल को जोतने से मना किया और प्रार्थी को जातिसूचक शब्द कहा कि जाति के हरिजन चमार साले तेरी इतनी हिम्मत हो गयी है कि हम ठाकुरों को मना करने आया है, इतना कहकर मां–बहन की गन्दी–गन्दी गालियां देकर अपशब्द कहकर साले चमार कहकर अपमानित किया और कहा कि आज तुझे जान से मार देने की धमकी देते हुये चारों मुल्जिमान कृपाल सिंह, अशोक कुमार, जगत सिंह व नन्हीं देवी अपने हाथों में लिए हुये लाठी डण्डों से प्रार्थी को मारने पीटने लगे। मारने पीटने से प्रार्थी के शरीर में साधारण व गम्भीर चोटें आयी। मारपीट के दौरान प्रार्थी की जेब से अशोक कुमार ने चोरी की नियत से एक हजार रूपये चुराकर निकालकर ले लिए। वरसीम की फसल जोतने व तोड़ने में करीब दस हजार रूपये का नुकसान किया। जाते समय, कोई भी कानूनी कार्यवाहीं करने जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के गवाहान यासीन खां, रणवीर सिंह आदि है, जिन्होंने समस्त घटना देखी व बचाया। थाने पर उसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। तब उसने एक प्रार्थनापत्र पुलिस अधीक्षक कन्नौज को दिया परन्तु कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है। अतः थानाध्यक्ष को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थनापत्र के समर्थन में पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थनापत्र की प्रति व रजिस्ट्री रसीद साथ में संलग्न की गयी है।

मैंने पत्रावली व थाने की आख्या का अवलोकन किया।

थाने की आख्या के अनुसार थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण पर यह आरोप लगाया है कि वरसीम की फसल को जोतने व तोड़ने से मना करने पर उसके साथ विपक्षीगण के द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये लाठी डण्डों से प्रार्थी को मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी।

प्रार्थी व विपक्षीगण एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते पहचानते है। मामले के समस्त तथ्य प्रार्थी के ज्ञान में है। प्रार्थी स्वयं साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने मामले को साबित कर सकता है, प्रश्नगत प्रकरण की पुलिस से विवेचना कराये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अलिक पदमाशी व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (2007) 6 एस 0 सी0 सी0 171** पर यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि धारा 156 (3) दं0 प्र 0 सं0 के प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है यही व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **सुखवासी बनाम स्टेट ऑफ यू0 पी0 2008 (1) ए 0 सी0 आर 0 170** पर भी दी गयी है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृश्टिगत रखते हुए प्रार्थी गेंदनलाल के प्रार्थनापत्र धारा 173 (4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

**आदेश**

प्रार्थी गेंदनलाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173 (4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 को परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाये। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 223 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 दिनांक 30.05.2026 को पेश हो।

(ममता सिंह)

विशेष न्यायाधीश एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट

कन्नौज।